

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700582 / 2016

संस्थापन दिनांक 20.09.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

रामप्रकाश पुत्र परशराम जाटव उम्र 58 साल निवासी
ग्राम इकहारा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354क, 457, 323 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 26.08.16 को 21:00 बजे फरियादी सुनीता जाटव के घर का आंगन ग्राम इकहारा थाना मालनपुर पर फरियादिया सुनीता अ0सा01 से शारीरिक स्पर्श और अग्र क्रियायें की जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्तावत अर्न्तवलिता था तथा फरियादी सुनीता अ0सा01 के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रोगृहभेदन कारित किया तथा सुनीता अ0सा01 को स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 26.08.16 को रात्रि 9 बजे फरियादिया सुनीता अ0सा01 अपने घर के आंगन में खटिया बिछाकर लेट गयी थी और उसके घर के किबाड़ बंद थे उसका पति केशव अ0सा02 फैक्टी में मालनपुर काम करने गया था तब फरियादिया के पड़ोसी आरोपी रामप्रकाश किबाड़ खोलकर उसके घर में घुस आया और सुनीता के कपड़े उठाकर उसे नग्न कर उसके उपर लेट गया जिससे सुनीता के पेट में चोट आई और वह जाग गयी। तब रामप्रकाश ने सुनीता के चिल्लाने पर एक हाथ से सुनीता का मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ से सुनीता का दाहिना हाथ पकड़कर मरोड़ दिया जिससे सुनीता की चूड़ी टूट गयी और हाथ में चोट आई और आरोपी सुनीता को छोड़कर भाग

गया आवाज सुनकर केदार अ0सा05 व देवेन्द्र अ0सा06 आ गये जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा। तत्पश्चात फरियादिया सुनीता अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना मालनपुर में अप0क0 145/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 26.08.16 को 21:00 बजे फरियादी सुनीता जाटव के घर का आंगन ग्राम इकहारा थाना मालनपुर पर फरियादिया सुनीता अ0सा01 से शारीरिक स्पर्श और अग्र क्रियायें की जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्तावत अर्न्तवर्लित था ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुनीता अ0सा01 के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रोगृहभेदन कारित किया ?
 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सुनीता अ0सा01 को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के सकारण निष्कर्ष //

5. सुनीता अ0सा01 ने कथन किया है कि आरोपी उसका जेट है पिछले वर्ष भादों के माह में रात्रि 9 बजे वह अपने घर के बाहर आंगन में सो रही थी और घर के दरवाजे खुले थे उसका पति ड्यूटी करने के लिए गया था तब रात में किसी ने उसके कपड़े उठाकर बदतमीजी की। उस समय गांव में लाइट नहीं थी जब वह चिल्लाई तो वह व्यक्ति भाग गया। उसका बेटा कुलदीप अ0सा03 व बेटे आरती अ0सा04 भी आ गये थे वह व्यक्ति कौन था उसे नहीं देख पाये। उनकी आरोपी से चुनावी रंजिश चल रही थी तब गांववालों ने कहा कि आरोपी रामप्रकाश ही होगा फिर गांववालों के कहने पर उसके पति के आने के बाद चूंकि रामप्रकाश गांव में नहीं था इसलिए उसने रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखवायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी टूटी हुई चूड़ियां जप्त की थी जप्ती पत्रक प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि केदार अ0सा05 व देवेन्द्र अ0सा06 भी घटनास्थल पर आ गये थे। अतः इस साक्षी ने घटना कारित करने वाले व्यक्ति की पहचान न्यायालयीन साक्ष्य में स्पष्ट नहीं की है जबकि एफआईआर प्र0पी-1 में आरोपी द्वारा ही घटना घटित करना बताया गया है और सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर भी इस साक्षी ने यही कथन किया है कि वह अंधेरा होने के कारण नहीं देख पाई थी उसे रामप्रकाश का नाम किन गांववालों ने बताया था वह उनका नाम भी नहीं बता सकती। अतः सुनीता अ0सा01 ने आरोपी के कृत्य का कथन नहीं किया है।

6. केदार अ0सा05 और देवेन्द्र अ0सा06 जिसकी सुनीता नातेदार हैं, ने भी यही कथन किया है कि सुनीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह सुनीता के पास पहुंच गये थे जिसने बताया था कि कोई घुस आया है उक्त दोनों ही साक्षीगण ने सुझाव से इंकार किया है कि घटनास्थल से आरोपी रामप्रकाश दौड़ता हुआ निकला था और सुनीता ने रामप्रकाश द्वारा ही घटना कारित करना बताया था। अतः उक्त दोनों अभिलिखित प्रत्यक्ष साक्षीगण ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
7. कुलदीप अ0सा03 और आरती अ0सा04 जोकि फरियादिया की संतान हैं और घटनास्थल पर मौजूद थीं, ने कथन किया है कि सुनीता के चिल्लाने पर उनके पहुंचने पर सुनीता ने बताया था कि घर में कोई घुस आया है और उक्त दोनों साक्षीगण ने भी इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा है अथवा सुनीता ने आरोपी के बारे में उन्हें बताया।
8. केशव अ0सा02 ने कथन किया है कि जब वह घर पर नहीं था तब सुनीता ने उसे फोन करके बुलाया था और बताया था कि अंधेरे में कोई हरकत कर गया और गाववालों के कहने पर उसने अपने भाई आरोपी का नाम लिखाया है। सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर कथन प्र0पी-5 में यह लिखाये जाने से इंकार किया है कि सुनीता ने उसे आरोपी रामप्रकाश के कृत्य के बारे में बताया था।
9. अभियोजन मामले में उपरोक्त परीक्षित कराये गये साक्षीगण के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी उल्लिखित नहीं है। उपरोक्त परीक्षित कराये गये फरियादी व प्रत्यक्ष साक्षीगण ने अपराध घटित होना बताया परन्तु उक्त अपराध आरोपी द्वारा ही घटित किया गया इस तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और परीक्षित कराये गये समस्त प्रत्यक्ष साक्षीगण ने आरोपी द्वारा ही घटना कारित किए जाने से इंकार किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का माला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 26.08.16 को 21:00 बजे फरियादी सुनीता जाटव के घर का आंगन ग्राम इकहारा थाना मालनपुर पर फरियादिया सुनीता अ0सा01 से शारीरिक स्पर्श और अग्र क्रियायें की जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्तावत अर्न्तवलिता था तथा फरियादी सुनीता अ0सा01 के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रोगृहभेदन कारित किया तथा सुनीता अ0सा01 को स्वेच्छया उपहति कारित की।
10. परिणामतः आरोपी को धारा 354क, 457, 323 भा.द.स के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
12. प्रकरण में जप्त संपत्ति टूटी चूड़ियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0